


423

स.च.ना.स.क. 136

2-11-16

12



न्यायालय मान० राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर
निग - 3769 - II 16

प्रकरण क्रमांक 12015-16 निगरानी

शिवदयाल पुत्र प्रताप सिंह यादव
ग्राम दिनारा तहसील करैरा
जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

---आवेदक

विरुद्ध

2-11-16
स.च.ना.स.क.
136

1- म०प्र०शासन द्वारा कलेक्टर शिवपुरी

2- तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी

---अनावेदकगण

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,
1959 तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण
क्रमांक 14/2015-16 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक
23 जनवरी, 2016 के विरुद्ध)


क०पृ०30--2

Handwritten signature

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3769-दो/16

जिला - शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/2019	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी.पी. नायक उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला शिवपुरी के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p> <p><u>कलेक्टर जिला शिवपुरी</u></p>	